न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

आसीन अधिकारी : श्री जनक सिंह (आरएएस)
मुकदमा नं0 : 45 / 2022
प्रकरण दर्ज दिनांक : 20.5.22
प्रकरण निस्तारण दिनांक : 20.5.22

उनवानी प्रकरण

1. देवीसहाय पुत्र श्री खेत्या जाति कोली नि0 गढ़
2. सुरज्ञान पुत्र गंगाधर जाति मीना नि0 ढाणी नया बासी रेटा तह0 सिकराय

— प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार सिकराय

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी

पत्रावली अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद जैमन द्वारा पेश की गई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमी आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम रेटा तहसील सिकराय में स्थित है। उक्त भूमी की सम्पूर्ण देखरेख साल संभाल व काश्त करने का समस्त कार्य प्रार्थी संख्या 2 द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि की देखरेख व साल संभाल करने हेतु 100 रूपए के स्टाम्प पेपर पर प्रार्थी संख्या1 द्वारा प्रार्थी संख्या 2 को मुख्यारनामा खास लिख रखा है। इसलिए प्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त भूमी की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त खेत के पूर्व में चारों ओर लगी हुई पत्थरगढ़ी वर्षा के कारण व जंगली जानवरों के कारण हटा दी गई जिससे उक्त खेत में पैदा होने वाली फसल की सुरक्षा जंगली जानवरो से नही हो पा रही है। उक्त खेत का सीमाज्ञान उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा 14.05.2022 को किया जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया । प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
अतः न्यायालय इस विनम्र मत पर है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिकराय को दिनांक 14.05.2022 को किए गए सीमाज्ञान के अनुसार वाके ग्राम रेटा तहसील सिकराय में स्थित प्रार्थीगण की भूमी खसरा नम्बर 138 रकबा 0.7600 है0 पर पत्थरगढ़ी कायम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। उक्त पत्थरगढ़ी कार्यवाही में किसी भी प्रकार का भौतिक कब्जा हस्तांतरण नहीं किया जावेगा। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार सिकराय को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आदिनांक 20.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जनक सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय